बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

# आदेश

संचिका संख्या–6/ज0गु0–101/2010–285 दिनांक– 29/01/15

विषयः *मे0 Punj Lloyd Ltd., Corporate Office-II, Industrial Area, Sector-32, Gurgawn-122001. Web- www.punjlloyd.com को राज्य के फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों/टोलों में समुचित ट्रीटमेंट यूनिट एवं सौर उर्जा चालित पम्पों के प्रावधान के साथ 100 मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु आवंटन कार्य की एकरारनामा संख्या–SBD–01, वर्ष 2010–11 को विखंडित कर जमानत की राशि राज्यसात् करने, असमायोजित मोबलाईजेशन अग्रिम की वसूली एवं फर्म को काली सूची में डालने के संबंध में।*

राज्य के फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों/टोलों में समूचित ट्रीटमेंट यूनिट एवं सौर उर्जा चालित पम्पों के प्रावधान के साथ 100 मिनी पाईप जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु मे0 Punj Lloyd Ltd., Gurgaon को विभागीय पत्रांक–1078, दिनांक–01.04.2010 से कार्य आवंटन आदेश निर्गत किया गया। तदनुसार फर्म द्वारा एकरारनामा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, बिहारशरीफ के साथ किया गया जिसका एकरारनामा संख्या–SBD–01, वर्ष 2010–11 है।

उपरोक्त विभागीय पत्र संख्या–1078, दिनांक–01.04.2010 के अनुसार पत्र निर्गत की तिथि से योजना को पूर्ण करने की अवधि 12 माह थी, जो दिनांक–31.03.2011 को समाप्त हो चुकी है। फर्म से शपथ पत्र के साथ कार्य पूर्ण करने की अवधि विस्तारित करने का अनुरोध प्राप्त होने पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्य पूर्ण करने की अवधि दिनांक–31.05.2014 तक इस शर्त के साथ विस्तारित की गयी थी कि विस्तारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर एकरारनामा के प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई की जाएगी। एकरारनामा के अनुसार योजना को पूर्ण कर 3 माह के ट्रायल रन के पश्चात 12 माह तक O&M का कार्य फर्म द्वारा किया जाना था।

योजना की प्रगति की समीक्षा समय–समय पर फर्म के साथ क्षेत्रीय पदाधिकारियों तथा विभागीय स्तर पर की गयी। परंतु इसके भी अपेक्षित परिणाम नहीं मिले।

क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार फर्म द्वारा कराये जा रहे कार्यो की प्रगति शुरूआती दौर से ही काफी धीमी रही है तथा माह अप्रैल, 2014 से कार्य लगभग बंद किये जाने की स्थिति में क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा फर्म को इस संबंध में पत्र लिखे गये एवं

सचिव
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना
गो0सं0प्रा0सं0 276
दिनांक 04.2.15

स्मारित भी किये गये तथा समाचार पत्र के माध्यम से सूचना भी दी गयी। परन्तु, फर्म के द्वारा कार्य की प्रगति में कोई सुधार नहीं लाया गया।

कार्य की प्रगति असंतोषजनक रहने के फलस्वरूप फर्म को विभागीय पत्रांक–2369, दिनांक–09.12.2014 के द्वारा स्पष्टीकरण 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया।

विभाग द्वारा पूछे गये उक्त स्पष्टीकरण के संदर्भ में बिन्दुवार जबाव नहीं देकर फर्म अपने पत्रांक–PLL/PHED/EIC/116, दिनांक–22.12.2014 जो विभाग में दिनांक–07.01.15 को प्राप्त हुआ है, के द्वारा यह सूचित किया गया है कि उन्हें एकरारित अवधि में 19 अदद तथा विस्तारित अवधि में 46 अदद यानि कुल 65 अदद स्थल निर्गत हुए तथा 35 स्थल अभी तक निर्गत नहीं किया गया है। उनके द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि 10 अदद स्थलों पर बोरिग असफल हो गया है तथा 35 स्थलों पर कार्य पूर्ण किया गया है एवं 27 स्थलों पर कार्य प्रगति में है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया है कि 3 स्थलों पर कार्य प्रारम्भ करना है। फर्म के द्वारा यह भी सूचित किया गया कि उनके द्वारा एकरारनामा का उल्लंघन नहीं किया गया है एवं वे पूरी योजना पूर्ण कराना चाहते हैं, यदि उन्हें अवशेष सभी कार्य स्थल दिया जाए, समयवृद्धि भी दिया जाए, आपसी समझौता के तहत् कार्य पूर्ण करने का समय सीमा दिया जाए एवं सभी देय भुगतान किया जाने के उपरांत ही कार्य करने की बात कही गयी है। फर्म द्वारा फिर से अतिरिक्त वित्तीय प्रस्ताव दिये जाने की बात भी कही गयी है।

फर्म का उपरोक्त कथन स्वीकारयोग्य नहीं है। क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार एकरारित लक्ष्य 100 अदद के विरूद्ध एकरारनामा के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि तक की अवधि में 85 तथा विस्तारित समयावधि में 14 यानि कुल 99 स्थल आवंटित किये गये। फर्म के द्वारा अबतक एकरारित अवधि में 23 एवं विस्तारित अवधि में 13 यानि कुल 36 स्थलों पर कार्य पूर्ण किया गया तथा 24 स्थलों पर योजनाएँ अपूर्ण स्थिति में एक लंबे अरसे से है। शेष 39 अदद आवंटित स्थलों पर कार्य भी प्रारम्भ नहीं किया गया है। योजना की प्रगति में अपेक्षित गति लाने के संबंध में ना तो फर्म द्वारा कोई ठोस प्रस्ताव और ना ही कार्य योजना ही समर्पित की गयी है, जो कार्य के प्रति फर्म की लापरवाही एवं अभिरूचि नहीं लेने का द्योतक है।

फर्म के द्वारा अपने जबाब में कंडिका–F के उप कंडिका–1 से 6 तक में दिये गये संख्या को अगर जोड़ा जाए तो यह स्थलों की कुल संख्या 75 होता है जबकि फर्म के द्वारा कंडिका–F-2 में संख्या 65 स्थल विभाग द्वारा दिये जाने का उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट है कि फर्म ने अपने जबाब में गलत ढंग से तथ्य प्रस्तुत किया है।

कंडिका–6 में फर्म द्वारा रू0 1,44,33,402/– बकाया राशि के रूप में विभाग के पास लम्बित रहने की बात कही गयी है, जो भ्रामक है एवं स्वीकारयोग्य नहीं है। फर्म द्वारा कराये

गये कार्यों का वास्तविक मापी के आधार पर फर्म को पूरी राशि का भुगतान किया गया है तथा त्रुटिपूर्ण कार्य के लिए भुगतान देय नहीं है।

फर्म अपने पत्र के कंडिका–9 में यह उल्लेख किया है कि उन्हें मोबलाईजेशन अग्रिम के रूप में 1,67,92,956/–रू0 का भुगतान किया गया है, जो एकरारित राशि का 4.93 प्रतिशत होता है।

यहाँ उल्लेखनीय है कि एकरारनामा के कंडिका–10B (ii) में उल्लेखित है कि "Mobilization Advance not exceeding 10% of the tendered value may be given, if requested by the contractor in writing within one month of the order to commence the work. In such a case the contractor shall execute a bank guarantee /bond from a scheduled nationalized bank as specified by the Engineer-in-charge for the full amount of such advance before it is released. Such advanced shall be in two or more installments to be determined by the Engineer-in-charge at his absolute discretion. The first installment of such advance before shall be realized by the Engineer-in-charge to the contractor on a request made by the contractor to the Engineer-in-charge in his behalf. The second and subsequent installment shall be realized by the Engineer-in-charge only after the contract furnishes a proof of the satisfactory utilization of the earlier installment to the entired satisfaction of the Engineer-in-charge." उक्त से स्पष्ट है कि फर्म को मोबलाईजेशन अग्रिम का प्रथम किस्त रू0 170.224/–लाख भुगतान किया गया, परंतु कार्य संतोषप्रद नहीं रहने के स्थिति में द्वितीय/अन्य किस्तों का भुगतान नहीं किया जा सका। कार्य की प्रगति धीमी रहने के कारण फर्म के चालू विपत्र से अब तक कुल रू0 80.82/–लाख का ही समायोजन हो सका है एवं रू0 89.404/–लाख फर्म के पास लंबित है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि फर्म से कार्य पूर्ण करने हेतु शपथ पत्र के साथ समयबृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुरोध प्राप्त होने पर सम्यक् विचारोपरान्त कार्य पूर्ण करने की अवधि दिनांक–31.05.2014 तक इस शर्त के साथ विस्तारित की गयी थी कि विस्तारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर एकरारनामा के प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई की जाएगी।

फर्म के द्वारा कराये जा रहे कार्यों की प्रगति शुरूआती दौर से ही धीमी एवं असंतोषप्रद रही है तथा माह 'अप्रैल 2014 से लगभग बंद है। फर्म एकरारनामा के अनुसार कार्य सम्पादन में विफल रही है तथा फर्म द्वारा दिये गये शपथ पत्र के माध्यम से Undertaking का भी अनुपालन नहीं किया गया।

उपरोक्त से यह स्पष्ट हो जाता है कि एकरारनामा के शर्तों के अनुसार योजना के प्रगति असंतोषजनक रहने एवं एक लम्बे अर्से से कार्य बंद रखने की स्थिति में एकरारनामा के Clause of Contract की कंडिका 1A, 2, 3 एवं 14 के आलोक में फर्म की संविदा को विखंडित कर जमानत की राशि राज्यसात् करने एवं काली सूची में डालने का उपयुक्त मामला बनता है।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में सम्यक् विचारोपरांत मे0 Punj Lloyd Ltd., Gurgaon, जिनका निबंधन संख्या–308/10 है की संविदा एकरारनामा संख्या–SBD–01, वर्ष 2010–11 को

विखंडित कर जमानत की राशि राज्यसात् करने एवं असमायोजित मोबलाईजशन अग्रिम की वसूली तथा 5 (पाँच) वर्षों तक काली सूची में डालने का निर्णय लिया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(जयशंकर चौधरी)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–6/ज0गु0–101/2010– 285 पटना, दिनांक–29/01/15

प्रतिलिपि– Punj Lloyd Ltd., Corporate Office-II, Industrial Area, Sector-32, Gurgawn-122001. Web- www.punjlloyd.com को सूचनार्थ प्रेषित।

(जयशंकर चौधरी)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–6/ज0गु0–101/2010– 285 पटना, दिनांक–29/01/15

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/सचिव, पथ निर्माण विभाग/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद/प्रबन्ध निदेशक, बुडको बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(जयशंकर चौधरी)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–6/ज0गु0–101/2010– 285 पटना, दिनांक–29/01/15

प्रतिलिपि– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश है कि फर्म की जमानत की राशि राज्यसात् कर लें तथा असमायोजित मोबेलाईजेशन अग्रिम की राशि का समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करें।

(जयशंकर चौधरी)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 / ज0गु0–101 / 2010–285 पटना, दिनांक– 29/01/15

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव के आप्त सचिव / मुख्यालय के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/15

(जयशंकर चौधरी)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 / ज0गु0–101 / 2010– 285 पटना, दिनांक–29/01/15

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर / कम्प्यूटर प्रोग्रामर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेश है कि वे विभाग के वेबसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।

29/01/15

(जयशंकर चौधरी)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव